न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज

आपराधिक प्रकीर्ण सं०–72/2026

झिनकी व दो अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व एक अन्य

धारा–5 भारतीय मियाद अधिनियम

थाना–पनियरा, जिला महराजगंज।

22.07.2026

1– पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत। पुकार करायी गयी। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण उपस्थित। उभय पक्षों को पूर्व में सुना गया।

2– उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में नियम पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत मामले में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र में यह मुख्य रुप से अभिकथित किया गया है कि माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद महाराजगंज द्वारा आपराधिक वाद संख्या UPMH040035922023, अंतर्गत धारा 419, 420, 406, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता 1860, थाना पनियरा, जनपद महाराजगंज में पारित तलबी आदेश दिनांक 3 फरवरी 2023 के विरुद्ध निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण की तरफ से निगरानी दाखिल किया जा रहा है। निगरानीकर्तागण को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद महराजगंज द्वारा पारित निगरानी के प्रश्नगत आदेश दिनांक 03–02–2023 की जानकारी निगरानीकर्तागण को नहीं थी और निगरानीकर्तागण को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद महराजगंज द्वारा प्रेषित कोई आदेशिका प्राप्त नहीं हुई है। निगरानीकर्तागण को माननीय न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद महराजगंज द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की जानकारी महराजगंज के दिनांक 30–01–2026 को थाना पनियरा, जनपद सिपाही द्वारा किये गये एक फोन से हुई कि प्रार्थी के विरुद्ध माननीय महराजगंज द्वारा न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जनपद आदेशिका जारी किया गया तो निगरानीकर्तागण दीवानी न्यायालय महराजगंज जाकर मामले के बारे में जानकारी के लिए निरीक्षण प्रार्थना पत्र संख्या 11 दिनांक 31–01–2026 प्रस्तुत किया गया तो दिनांक 23–02–2026 को निरीक्षण कराया गया तथा दिनांक 24–02–2026 को प्रश्नगत आदेश के लिए नकल डाला गया और उक्त नकल दिनांक 12–03–2026 को निगरानीकर्तागण को प्राप्त कराया गया। निगरानी जानकारी/निरीक्षण के दिनांक 23–02–2026 से आज दाखिला दिनांक 19–03–2026 को दाखिल किया जा रहा है। निगरानी का दाखिला, जानकारी के दिनांक से समय सीमा के अन्दर है, न्यायहित में आवश्यक है कि आवेदकगण द्वारा निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ किया जावे। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी माफ करने की कृपा करें।

3– विपक्षी सं० 2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आपत्ति मिनजानिब प्रत्युत्तरदाता/वादी खिलाफ प्रार्थना पत्र भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 में अभिकथित किया है कि माननीय न्यायालय श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज द्वारा उपरोक्त वर्णित मामले अन्तर्गत दफा 419, 420, 406, 504, 506 आई०पी०सी० थाना– पनियरा, जिला महराजगंज में आरोप पत्र दाखिल होने के पश्चात् दिनांक 03.02.2023 को प्रसंज्ञान लेने का आदेश पारित किया गया जिसकी जानकारी निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण को प्रसंज्ञान लेने की तिथि 03.02.2023 से ही रही है, परन्तु निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण माननीय अवर न्यायालय द्वारा जारी किये गये आदेशिका के अनुपालन में माननीय न्यायालय में अपने को आत्मसमर्पण कर अपने अपने जमानत नही करायें एवं आदेशिका

से अपने आप को तभी से बचाते रहे। निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण का अपने मियाद प्रार्थना पत्र में यह कहना भी बिल्कुल झूठा व मनगढन्त है कि उन्हे प्रश्नगत प्रसंज्ञान लेने के आदेश दिनांक 03.02.2023 की जानकारी पूर्व निगरानीकर्तीगण को नही थी, सत्यता यह है कि माननीय न्यालय द्वारा प्रसंज्ञान लेने के आदेश दिनांक 03.02.2023 की जानकारी एवं उपरोक्त मामले में पूर्व पारित आदेशिका की जानकारी निगरानीकर्तागण को निगरानीकर्तागण का अपने मियाद प्रार्थनापत्र में यह कहना भी बिल्कुल ही असत्य व मनगढन्त है कि उन्हें प्रश्नगत आदेश की जानकारी दिनांक 30.01.2026 को थाना पनियरा के सिपाही द्वारा किये गये एक फोन से हुई थी। निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने माननीय न्यायालय को मात्र यह दिखाने के लिए निरीक्षण प्रार्थना पत्र सं0 11 दिनांकित 31.01.2026 प्रस्तुत कर दिये कि वह, यह दर्शा सके कि उन्हे संज्ञान लेने की आदेश दिनांक 03.02.2023 की जानकारी पूर्व में नही थी। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महराजगंज द्वारा पारित प्रसंज्ञान लेने का आदेश दिनांक 03.02.2023 का है जबकि निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण ने मियाद प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से दिनांक 19.03.2026 को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया है। मियाद प्रार्थना पत्र में विलम्ब से निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का जो कारण दर्शित किया गया है वह युक्तियुक्त व पर्याप्त कारण नहीं है। मियाद प्रार्थना पत्र निगरानीकर्तागण/अभियुक्तगण पोषणीय नहीं है। उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र 07 ख प्रत्येक सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त परिस्थितियों में निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की कृपा करें।

4– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली के सम्यक परिशीलन से सर्वप्रथम यह स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा प्रेषित आरोप पत्र पर दिनांक 03.02.2023 प्रसंज्ञान लिया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दौरान विवेचना बिना गिरफ्तार किये गए जरिये नोटिस आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है यदि अभियुक्तगणों के विरुद्ध जरिये नोटिस 41 क आरोप पत्र प्रेषित किया गया है, तो अभियुक्तगणों का यह दायित्व था कि वह समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, परन्तु अभियुक्तगण न्यायालय उपस्थित नहीं आये। विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 30.07.2024 में स्पष्ट रुप से यह अवधारित किया है कि अभियुक्तगणों पर सम्मन का तामीला पर्याप्त है बावजूद इसके अभियुक्तगण उपस्थित नहीं आ रहे हैं। तत्पश्चात उनके विरुद्ध परपीड़क कार्यवाही जारी की गई, जबकि परिवादी मुकदमा लगातार न्यायालय उपस्थित आ रहा है। अतः प्रथमतः यह स्पष्ट हो रहा है कि अभियुक्तगण जानबूझकर मुकदमे में हाजिर नहीं हुए हैं तथा उनके प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 03.02.2023 में बखूबी जानकारी है। न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 30.07.2024 में स्पष्ट रुप से यह उल्लिखित किया है कि अभियुक्तगणों के विरुद्ध सम्मन का तामीला पर्याप्त है और अभियुक्तगण जान बूझकर उपस्थित नहीं आ रहे हैं। अतः अभियुक्तगणों द्वारा यह आधार लिया जाना कि उन्हें मुकदमे की जानकारी दिनांक 30.01.2026 को हो पायी है। यह प्रथमदृष्टया ही स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अभियुक्तगणों द्वारा प्रसंज्ञान आदेश दिनांकित 03.02.2023 के विरुद्ध निगरानी योजित करने के लिए मियाद अधिनियम का यह प्रार्थना पत्र दिनांक 19.03.2026 को तीन वर्षों के पश्चात प्रस्तुत किया है, जो स्पष्ट रुप से दर्शित करता है कि अभियुक्तगण द्वारा विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। विधिक प्रावधान सदैव एक बचाव के लिए उपयोग किया जाता है न कि शस्त्र के रुप में। अभियुक्तगणों द्वारा मियाद अधिनियम का लाभ लेने के लिए जो आधार प्रस्तुत किया गया है वह आधार स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त समस्त कारणों से आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद सं०–72/2026, धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

5– निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाख़िल दफ़्तर हो।

22.07.2026

(शैलेन्द्र वर्मा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या–1, महराजगंज
आई 0 डी0 संख्या–यू0 पी0 6426